रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 894] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2019/ फाल्गुन 7, 1940
No. 894] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019/ PHALGUNA 7, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

का.आ. 1026(अ).--केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का.आ. 804 (अ) तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा उन परिस्थितियों का जिन्होंने पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अभिप्राप्त किए बिना कार्य आरंभ कर दिया है और ऐसे मामलों को उल्लंघन माना गया है, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंध किया है।

और उक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (1) द्वारा यह निदेश दिया गया है कि यथास्थिति केंद्रीय सरकार से या उक्त अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से गठित राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय समाशोधन अभिप्राप्त किए बिना भारत के किसी भाग में वचनबंध प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी या दोनों में परिवर्तन सहित अतिरिक्त क्षमता के लिए शुरू की गई पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना,2006 (का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006) के अधीन पूर्व पर्यावरणीय समाशोधन की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों या विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या धुनिकीकरण को पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन का मामला माना जाएगा;

और उक्त अधिसूचना में यह और उपबंधित है कि ऊपर विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और क्रियाकलापों से उक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उप-पैरा (2) से उप पैरा (7) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सख्ती बरती जाएगी;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उप-पैरा (4) के अनुसरण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अधिसूचना सं.का.आ. 1805(अ) तारीख 6 जून, 2017 द्वारा सभी सेक्टरों में अतिक्रमण के मामलों के रूप में मूल्यांकित करने और केंद्रीय सरकार को सिफारिश करने के लिए विभिन्न सेक्टरों में विशेषज्ञता रखने वाले सदस्यों को समाविष्ट करके एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) गठित की गई थी;

और इस प्रकार गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति में डॉ. पी.ए.जोशी, अध्यक्ष, एंकर इंस्टीट्यूट और प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग, धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, नाडियाड-387001 (गुजरात) को उक्त समिति के सदस्य के रुप में नामनिर्दिष्ट किया गया था;

और डा.पी.ए. जोशी ने अतिक्रमण के मामलों को निपटाने के लिए गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में भारोन्मुक्त करने का अनुरोध किया है ।

और, अत: अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 क 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 804 (अ), तारीख 14 मार्च, 2017 के पैरा 13 के उप-पैरा (4) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 6 जून, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश संख्या का.आ. 1805(अ) तारीख 6 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश की सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"श्री अशोक अग्रवाल, 405, सैक्टर- 31, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा) ।"

[फा. सं. 19-43/2017-आईए.।।।]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल आदेश सं. का.आ. 1805(अ), तारीख 6 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सं.का.आ. 1031(अ), तारीख 8 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 26th February, 2019

S.O. 1026(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 804(E), dated the 14th March, 2017, issued under sub-section (1), sub-clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said

otification), the Central Government has established an arrangement to appraise the projects, which have started the work without obtaining prior environmental clearance and such cases have been termed as cases of violation;

And whereas, vide sub-paragraph (1) of paragraph 13 of the said notification, it has been directed that the projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 [S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006] entailing capacity addition with change in process or technology or both, undertaken in any part of India without obtaining prior environmental clearance from the Central Government or by the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, duly constituted by the Central Government under the said Act, shall be considered a case of violation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

And whereas, the said notification further provides that the projects and activities referred above, shall be dealt strictly as per the procedure specified in sub-paragraphs (2) to (7) of paragraph 13 of the said notification;

And whereas, in exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification, an Expert Appraisal Committee (EAC) was constituted by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017 comprising members with expertise in different sectors to appraise and make recommendations to the Central Government as cases of violation in all the sectors;

And whereas, in this Expert Appraisal Committee so constituted, Dr. P.A. Joshi, Chairman, Anchor Institute & Professor, Chemical Engineering, Dhrarmsinh Desai University, Nadiad - 387 001 (Gujarat) was nominated as Member of the said Committee;

And whereas, Dr. P.A. Joshi has requested to be relieved, as Member of the Expert Appraisal Committee constituted to deal with violation cases;

And now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017, the Central Government hereby makes the following further amendments in the order of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th June, 2017, namely:—

In the said order, in the Table, against serial number 2, for the entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:—

"Shri Ashok Agrawal, 405, Sector-31, Gurugram - 122 001 (Haryana)".

[F. No. 19-43/2017-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note:— The principal order was published vide number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017 and subsequently amended *vide* number S.O. 1031 (E), dated the 8th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.02.27 17:51:05 +05'30'